

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़ जिला जयपुर राज0
बइजलास श्री चिमन लाल मीना R.A.S

गिसल नं.
97/2022

तारीख दायर
15/06/2022

तारीख फैसला
20/06/2023

- उनवान -

1. अर्जुन पुत्र कालूराम
2. राधेश्याम पुत्र कालूराम
3. रामधन पुत्र कालूराम
4. महादेव पुत्र कालूराम
5. बाबूलाल पुत्र कालूराम
6. अशोक पुत्र कालूराम
7. पूरण पुत्र कालूराम
8. कैलाश पुत्र रामचन्द्र
9. जगदीश पुत्र रामचन्द्र
10. नारायण पुत्र रामचन्द्र
11. श्रवण लाल पुत्र रामचन्द्र
12. दाफा पत्नि रामचन्द्र
13. लालाराम पुत्र हरबक्स

जातियान मीना निवासी पालेडा तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ब्रह्मादूर सिंह पुत्र दुर्गासिंह जाति राजपूत हाल निवासी पालेडा तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री महेश शर्मा :- वकील प्रार्थी।

प्रार्थनापत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक 20.06.2023

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने विरुद्ध अप्रार्थीगण एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया। जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण की जारी की गई। प्रकरण में उपस्थित वकील प्रार्थीगण की एक तरफा सुनवाई किया जाकर उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट को स्वीकार किया जाकर निर्णित किया जाता है कि यदि विवादित भूमि खसरा नम्बर 153/6 रकबा 3.5406 हैक्टेयर वाकै ग्राम पालेडा तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश ना हो तो मुताबिक सीमाज्ञान आदेश अनुसार पत्थरगढ़ी करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 20.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

20/06/23
(चिमनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर